कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

E-mail:- sdmtibbi@gmail.com Phone No. 01539-235001

क्रमांक / रिडर / 25 / 914 दिनांक :- 16 / 09 / 2025

तहसीलदार राजस्व,
टिब्बी।

विषय :- प्रकरण स0 104 / 2025 अनवान चानणराम बनाम किरण, अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा के विचाराधीन प्रकरण स0 104 / 2025 अनवान चानणराम बनाम किरण आदि, अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपी पत्र के सलंग्न कर भिजवायी जा रही है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उक्तानुसार निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करे।

सलंग्नः—उपर्युक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 104/2025

अनवान : —

1 चानणराम पुत्र रामचन्द्र जाति सुथार निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम्

1. किरण पुत्री साहबराम पत्नी राजपाल जाति सुथार निवासी घेउ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :—श्री अरविन्द नैण प्रार्थी

एक पक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 9/9/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चकनं0 10 आर डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 141/86 में कुल 0.4560 है0 आराजी व अप्रार्थीया किरण के नाम से चक नं0 10 आर डबल्यू डी के खाता सं0 153/86 में कुल 0.177 हे0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने व काश्त के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी भूमि में क़ाश्त करने के लिए अप्रार्थीया की कृषि भूमि चक 10 आर डबल्यू डी के प0न0 231/369 मु0 40 किला नं0 1/3 में से होकर अपनी कृषि भूमि चक 10 आर डबल्यू डी के प0न0 237/369 मु0 40 किलानं0 2 व 3 में प्रवेश करता चला आ रहा है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है लेकिन राजस्व रिकार्ड में मन्जूर नही है । प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज चालू रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीया सं० 1 की आराजी वाके चक नं0 10 आर डबल्यू डी के प0न0 231/369 मु० 40 किला नं० 1/3 में उतर दिशा की तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर 013 है0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में मन्जूर करवाना चाहता है । रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थी, अप्रार्थीया सं० 1 को डीएलसी रेट के अनुसार राशि देने के लिए तैयार है । प्रार्थी ने अप्रार्थीया सं0 1 को निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 के अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर गै०मु० रास्ता का अंकन करवा देवे तो अप्रार्थीया सं० 1 कतई इन्कार हो गयी, बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है । प्रार्थना पत्र प्रार्थी पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है । लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीया सं0 1 की आराजी कें चक नं0 10 आर डबल्यू डी के प०न० 231/369 मु0 40 किला नं0 1/3 में उतर दिशा की

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर .013 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मदन बुरडक द्वारा उपस्थिति दर्ज करवायी, अप्रार्थी अधिवक्ता को अवसर दिये जाने के बाद भी वकालतनामा पेश नही किया जाने पर आदेश दिनांक 20.08.2025 को अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी, तहसीलदार राजस्व टिब्बी के पत्रांक क्रमांक/राजस्व/2025/845/दिनांक 15.07.2025 रिपोर्ट प्राप्त की गयी मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी के निकटतम स्वीकृतशुद्धा रास्ता प0न0 231/369 मु0 40 के किला न0 1/1, 10/1, 11/1, 20/1, 21/1 में है प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिया जाना आत्यांतिक आवश्यक है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए (1) में नया रास्ता स्वीकृत करने से संबधित प्रावधान के अनुसार प्रार्थी के लिए नया रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है (2) अन्य खातेदार की जोत मे से विशिश्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया हो।

हस्तगत प्रकरण में न्यायालय की तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 15.07.2025 के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में पहुंच के लिए अन्य कोई स्वीकृतशुद्धा वैकल्पिक रास्त नही है प्रस्तावित रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतः उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो से सुसंगत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक नं0 10 आर डबल्यू डी के प०न० 231/369 मु0 40 किला नं0 1/3 में उतर दिशा की तरफ, गै0मु0 खाले के समानान्तर पश्चिम से पूर्व की ओर .013 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है स्वीकृत किये गये रास्ते में आयी भूमि के बदले में उतनी ही भूमि अप्रार्थी के चिपते प्रार्थी के किला न0 3/1 में पश्चिमी दिशा की तरफ उतर से दक्षिण स्वीकृत किये गये रास्ते के कॉर्नर को छोडते हुए अप्रार्थी के नाम से दर्ज किया जावे प्रार्थी का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 9/9/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़